

1991 एससीसी ऑनलाइन पी & एच 1190 : आईएलआर (1996) 2 पी एंड एच 79 : एसटीआई 1992

पी & एच 51

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

(न्यायमूर्ति वी के बाली, के समक्ष)

लड्डा शराब और अन्य ... याचिकाकर्ताओं;

बनाम

चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य ... उत्तरदाताओं।

1991 का सी.डब्ल्यू.पी. नंबर 11860

12 नवंबर, 1991 को हुआ फैसला

पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 - धारा 5 और 6 - अनुसूची ए और बी - पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 - अनुबंध अधिनियम, 1872 - नीलामी बोली - बोली की स्वीकृति - इस तरह की स्वीकृति का प्रभाव - बिक्री कर का भुगतान करने की देयता - ऐसी देयता से छूट - ऐसी छूट देने की शक्ति।

और रूप:

यह कि नीलामी में याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई बोली उत्तरदाताओं को की गई पेशकश थी और उक्त बोलियों की स्वीकृति पर, बोलीदाताओं और उत्तरदाताओं के बीच एक अनुबंध अस्तित्व में आया था और इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि यह समाप्त अनुबंध का मामला था।

(पैरा 12)

आगे कहा गया:

भले ही पार्टियों और प्रतिवादियों के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध था, लेकिन याचिकाकर्ता-लाइसेंसधारियों को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि कोई बिक्री कर नहीं लिया जाएगा, फिर भी अनुबंध के इस तरह के खंड को संभवतः लागू नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 13)

आगे कहा गया:

कर के भुगतान से छूट विधायिका द्वारा दी जा सकती है और अधिनियम का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो सरकार को किसी भी करदाता को कर के भुगतान से छूट देने का अधिकार देता हो।

(पैरा 12)

आगे कहा गया:

संविधान ने विधायिका के लिए उसके अधीन कार्य करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की है और अपने क्षेत्र में विधायिका संविधान के तहत सर्वोच्च है। जहां तक कानून बनाने या मौजूदा कानूनों को हटाने का संबंध है, यह विधायिका के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है और इस संबंध में न्यायालय द्वारा विधायिका को कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 18)

याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट मोहन जैन।

वरिष्ठ अधिवक्ता एचएल सिब्लल और वरिष्ठ अधिवक्ता एससी सिब्लल के साथ प्रतिवादियों की ओर से

अधिवक्ता दीपक सिब्लल, सुश्री रूपिंदर सोढ़ी और रणदीप सिंह राय उपस्थित

निर्णय

न्यायमूर्ति वी. के. बाली, - यह आदेश शराब एल-1 और शराब एल-2 लाइसेंसधारियों की ओर से दायर याचिकाओं के दो सेटों का निपटारा करेगा। 1991 के सीडब्ल्यूपी 11860, 13857 और 15133 एल-आई लाइसेंसधारकों द्वारा दायर किए गए हैं, जबकि 1991 के सीडब्ल्यूपी 11390, 13856 और 15132 शराब एल-2 लाइसेंसधारियों द्वारा दायर किए गए हैं। याचिकाओं के दोनों सेटों में अनुलग्नक पी1 को रद्द करने का अनुरोध किया गया है, जो उप आबकारी और कराधान आयुक्त, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ द्वारा 9 मई, 1991 को जारी एक आदेश है, जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के सभी एल-आई लाइसेंसधारकों को खुदरा विक्रेताओं को आईएमएफएल/बीयर की बिक्री पर बिक्री कर वसूलने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर उक्त लाइसेंसधारक उनके द्वारा की गई बिक्री पर बिक्री कर जमा करने के लिए जिम्मेदार होगा। जहां तक उपरोक्त आदेशों के आधार पर, एल-1 लाइसेंसधारकों को भी बिक्री कर का भुगतान करना होता है जो एल-1 लाइसेंसधारकों द्वारा उनसे वसूला जाएगा, वे भी उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर उसी आदेश को चुनौती देने के लिए आगे आए हैं। इस मामले के तथ्य, जहां तक इन रिट याचिकाओं को निपटाने के लिए प्रासंगिक हैं, पहले ध्यान दिया जा सकता है।

2. ऊपर उल्लिखित याचिकाकर्ताओं के पास एल-1 या एल-2 लाइसेंसधारक हैं। याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि वे नीलामी के समय की गई घोषणाओं से शासित होते हैं और उक्त घोषणाएं पार्टियों के संबंधित अधिकारों और देनदारियों को नियंत्रित करने के लिए हैं, चाहे वह केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में जनता को शराब की थोक या खुदरा बिक्री का मामला हो। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में शराब की दुकानों की नीलामी के समय प्रतिवादियों द्वारा सभी नियमों और शर्तों के साथ-साथ लाइसेंसधारक द्वारा भुगतान किए जाने वाले करों की घोषणा की गई थी। आबकारी एवं कराधान आयुक्त, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ द्वारा दिनांक 19 मार्च, 1991 को की गई ऐसी घोषणाओं की प्रतियां प्रत्येक उस व्यक्ति को उपलब्ध कराई गई थीं जो संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में शराब की दुकान प्राप्त करने में रुचि रखता था। 19 मार्च, 1991 को की गई घोषणाएं वर्ष 1991-1992 के लिए लागू थीं और उक्त घोषणाओं के खंड 44 के अनुसार, आईएमएफएल (भारत

निर्मित विदेशी शराब) और बीयर की बिक्री पर कोई बिक्री कर नहीं होना था। घोषणाओं के खंड 44 को पुनः प्रस्तुत किया गया है -

आईएमएफएल और बीयर की बिक्री पर कोई बिक्री कर नहीं लगेगा।

3. उपरोक्त घोषणा की एक प्रति इस मामले के रिकॉर्ड पर अनुलग्नक पी 2 के रूप में रखी गई है। हालांकि ऐसी घोषणा की गई थी, प्रतिवादी संख्या 2 ने 9 मई, 1991 को पत्र अनुलग्नक पी 1 जारी किया, जिसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ में सभी एल-आई लाइसेंसधारकों (भारत निर्मित विदेशी शराब के थोक डीलरों) को आईएमएफएल और बीयर की बिक्री पर बिक्री कर वसूलने का निर्देश दिया गया था। जहां तक आदेश अनुलग्नक पी-1 केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में शराब की दुकानों की नीलामी के समय की गई घोषणाओं के साथ तीखी प्रतिस्पर्धा में था, याचिकाकर्ताओं ने उप आबकारी और कराधान आयुक्त के साथ-साथ आबकारी और कराधान आयुक्त, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ से संपर्क किया और 30 जून को एक अभ्यावेदन दिया। 1991. जब याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन से वांछित राहत नहीं मिली, तो एल -2 लाइसेंसधारकों द्वारा प्रतिवादी नंबर 2 को एक नोटिस दिया गया, जिसके तहत यह स्पष्ट किया गया था कि खंड 44 के अनुसार, उनसे कोई बिक्री कर नहीं लिया जाना था और इसलिए, संबंधित अधिकारियों को आईएमएफएल / बीयर की बिक्री पर बिक्री कर नहीं लेने और 9 मई के पत्र को वापस लेने का निर्देश दिया जाना चाहिए। 1991 नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीन दिनों के भीतर। याचिकाकर्ताओं ने इस कारण को इस अदालत के समक्ष लाया, जाहिर है कि जब उनके द्वारा दिए गए नोटिस पर भी कोई गंभीरता से विचार नहीं किया गया और वास्तव में, इसे नजरअंदाज कर दिया गया। उनकी इस दलील को प्रमाणित करने के लिए कि प्रतिवादियों ने वर्ष 1991-1992 के लिए बिक्री कर में रियायत देने का एक सचेत निर्णय लिया था, यह अनुरोध किया जाता है कि वर्ष 1988-1989, 1989-1990 और 1990-1991 में शराब की दुकानों की नीलामी के समय की गई घोषणाओं के प्रासंगिक खंड के अवलोकन में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि आईएमएफएल और बीयर की बिक्री पर बिक्री कर होगा। ऊपर दिए गए तथ्यों पर, याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि उनके द्वारा दी गई बोलियां प्रस्ताव का गठन करती हैं और उसी को स्वीकार करने पर पार्टियों के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध अस्तित्व में आया। नीलामी की शर्तें अनुबंध की शर्तें बन गईं और उन्हीं शर्तों पर नियमों के फॉर्म एल 14-ए में सफल बोलीदाताओं को लाइसेंस प्रदान किए गए। इस प्रकार, पेशकश की प्रकृति की बोलियों को स्वीकार करने के बाद, प्रतिवादियों को पार्टियों के बीच इस संपन्न अनुबंध से बचने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और इसलिए, आदेश अनुलग्नक पी 1 अवैध, असमर्थनीय, अधिकार क्षेत्र के बिना, बिना सोचे समझे और आबकारी और कराधान आयुक्त द्वारा की गई

घोषणाओं के खिलाफ है, साथ ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के भी खिलाफ है। याचिकाकर्ताओं ने आगे प्रतिवादी संख्या 2 के अनुबंध पी 1 जारी करने के अधिकार को इस आधार पर चुनौती दी कि यह घोषणा की शर्तों के विपरीत है, जिससे उनके अधिकार गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं।

4. याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए कारण का जोरदार विरोध किया गया है और प्रतिवादियों की ओर से दायर लिखित बयान में यह अनुरोध किया गया है कि एल-आई लाइसेंसधारक पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 में निहित प्रावधानों और राज्य सरकार द्वारा उसके तहत बनाए गए नियमों द्वारा शासित होते हैं (इसके बाद अधिनियम और नियमों के रूप में संदर्भित किया जाएगा)। (नीलामी के समय की गई घोषणाओं से नहीं और जहां तक बिक्री कर का सवाल है, याचिकाकर्ता पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 (इसके बाद 1948 के अधिनियम के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। यह भी दलील दी जाती है कि बिक्री कर के संबंध में नीलामी के समय की गई घोषणा को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासन की कोई मंजूरी नहीं थी और इसलिए, इसे कोई प्रभाव नहीं दिया जा सकता है। जहां तक बिक्री कर की रियायत के संबंध में घोषणाओं के खंड 44 को शामिल करने के लिए सचेत निर्णय लेने का प्रश्न है, यह कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोप के अनुसार कोई निर्णय नहीं लिया गया था और उक्त खंड अनजाने में अस्तित्व में आया; शराब की खुदरा बिक्री करने वाले लाइसेंस धारक आईएमएफएल/बीयर पर बिक्री कर का भुगतान करने से इनकार नहीं कर सकते हैं जब तक कि 1948 के अधिनियम में संलग्न अनुसूची ए में आइटम संख्या 24 को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके हटा नहीं दिया जाता है और बोली की नीलामी के समय घोषित बिक्री कर की रियायत देने वाला खंड केवल एक प्रस्ताव की प्रकृति में था, लेकिन इस संबंध में नीतिगत निर्णय जितना ही था। 1991-1992 तक अनुमोदित नहीं किया गया था और राज्य सरकार द्वारा 1948 के अधिनियम की अनुसूची ए से आइटम संख्या 24 को हटाने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई थी, जैसा कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर लागू होता है, उत्तरदाताओं को आदेश अनुलग्नक पी 1 जारी करने में उचित ठहराया गया था। यह भी दलील दी जाती है कि खंड 44 में निहित प्रस्ताव को संभवतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट में लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह सबसे अधिक संविदात्मक दायित्व था। यह भी कहा गया है कि बिक्री कर का पूरा बोझ अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ता है, याचिकाकर्ता वैध रूप से यह आग्रह नहीं कर सकते हैं कि उन्हें कोई वित्तीय नुकसान हुआ है। अदालत की अनुमति से, याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादियों की ओर से दायर लिखित बयान की प्रतिकृति भी दायर की और कुछ प्रारंभिक आपत्तियां लेने के अलावा इसमें यह दलील दी गई है कि खंड 44 को शामिल करके एल-1 और एल-2 लाइसेंसधारकों को बिक्री कर एकत्र करने से रोका गया

है, अगर उन्हें योगदान करना पड़ता है तो इससे उन्हें अनकही पीड़ा और कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। उनकी अपनी जेब या अपनी खुद की धनराशि और यह कि लिखित बयान में उत्तरदाताओं द्वारा लिया गया रुख विरोधाभासी है क्योंकि एक तरफ यह दलील दी गई है कि धारा 44 अनजाने में शामिल की गई है, दूसरी ओर यह उल्लेख किया गया है कि भले ही नीतिगत निर्णय बिक्री कर लेने के लिए नहीं था, फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसे मंजूरी नहीं दी गई थी। प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ द्वारा। यह भी अनुरोध किया गया है कि अनुमोदन या गैर-अनुमोदन का प्रश्न प्रशासन की एकमात्र समस्या है और यह किसी तीसरे व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकता है जो प्रशासन के प्रतिनिधित्व पर अनुबंध में प्रवेश करता है। कुछ मामलों के कानून को भी दोहराया गया है जिसमें कहा गया है कि यदि किसी प्रोत्साहन योजना के तहत बिक्री कर के संबंध में रियायत दी जाती है, तो बाद में अधिकारियों और राज्य के लिए यह तर्क देना खुला नहीं है कि यह योजना अपने आप में वैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है और एक अपवाद है। इसलिए, राज्य के खिलाफ दलील दी। आगे यह दलील दी गई है कि धारा 44 को शामिल करने का कारण शराब की दुकानों की नीलामी पर अधिक राजस्व प्राप्त करना था और वास्तव में, प्रशासन ने बिक्री टैक्सी पर शुल्क नहीं लेने के अपने गंभीर वादे पर भारी राजस्व अर्जित किया। पिछले वर्षों में जिन राशियों पर दुकानों की नीलामी की गई थी और विचाराधीन दुकानों के अंतर को एक उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया था ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि प्रशासन ने अपनी नीति के परिणामस्वरूप कहीं अधिक राजस्व एकत्र किया था ताकि बिक्री कर न वसूला जा सके और ऐसा करने के बाद प्रशासन के लिए यह तर्क देना खुला नहीं होगा कि यह असावधानी के कारण था या कानून के खिलाफ था।

5. बहस के दौरान, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश श्री जैन ने अपने ग्राहकों के निर्देश पर एक बयान दिया कि वास्तव में आईएमएफएल/बीयर की बिक्री पर वर्ष 1991-1992 के लिए बिक्री कर नहीं लेने के प्रस्ताव को प्रशासन से सकारात्मक अनुमोदन प्राप्त करके इसके तार्किक अंत तक ले जाया गया था। वास्तव में, यहां तक कि एक मसौदा अधिसूचना भी जारी की गई थी। श्री जैन के इस बयान को प्रतिवादियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिब्बल ने गंभीरता से चुनौती दी थी। तथापि, श्री जैन द्वारा किए गए दावे में सच्चाई का पता लगाने के लिए वर्ष 1991-1992 के लिए आईएमएफएल/बीयर पर बिक्री कर में छूट के प्रस्ताव वाली फाइलें प्रशासन से तलब की गई थीं और इससे पहले कि पक्षकारों के वकीलों की दलीलों पर विस्तार से ध्यान दिया जाए, यह पता लगाना उपयोगी होगा कि शराब पर बिक्री कर में छूट का प्रस्ताव कैसे अस्तित्व में आया और इससे कैसे निपटा गया। आबकारी और कराधान अधिकारी ने वर्ष 1991-1992 के लिए आबकारी नीति का प्रस्ताव करते हुए 18

फरवरी, 1991 के अपने नोट के तहत भारत में निर्मित विदेशी शराब पर शुल्क शीर्षक के तहत निम्नानुसार उल्लेख किया है -

उन्होंने कहा, 'फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में ई की दर से शुल्क लगता है। भारत निर्मित विदेशी शराब पर 20 प्रतिशत पीएल शुल्क लिया जा रहा है। पंजाब में आईएमएफएल पर शुल्क की दर 33 रुपये प्रति पीएल है और इसे काफी हद तक कम किए जाने की संभावना है। पंजाब में आबकारी राजस्व का बड़ा हिस्सा देशी शराब से प्राप्त होता है और एल-2 (विदेशी शराब) की दुकानें औने-पौने दामों पर दी जाती हैं। जबकि चंडीगढ़ एक शहरी उन्मुख भौगोलिक इकाई है और मुख्य व्यापार विदेशी शराब का है। यहां तक कि राजस्व का एक बड़ा हिस्सा विदेशी शराब से आता है। शहरी उन्मुखीकरण और व्हिस्की के लिए जनता की रुचि को देखते हुए, पंजाब और चंडीगढ़ के शुल्क ढांचे में अंतराल रहा है। राजस्व को वर्तमान स्तर पर बनाए रखने के लिए उत्पाद शुल्क में इस अंतर को भी बनाए रखा जाना चाहिए। यदि शुल्क की दर बढ़ाई जाती है, तो इससे लाइसेंस शुल्क और उत्पाद शुल्क संग्रह के रूप में राजस्व का भारी नुकसान होगा। आवंटित बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि हमें शुल्क की प्रचलित दर, अर्थात् 20 रुपये प्रति पीएल को जारी रखना चाहिए और उचित अंतर को बनाए रखने के लिए, *भारत निर्मित विदेशी शराब और बीयर को बिक्री कर से छूट दी जा सकती है।*

(जोर दिया गया)।

6. जब 21 फरवरी, 1991 को सहायक आबकारी और कराधान आयुक्त द्वारा उपर्युक्त प्रस्ताव की जांच की गई, तो उनके द्वारा अपने नोट में यह देखा गया कि "पंजाब और हरियाणा लाइसेंसधारियों को गुणवत्ता वाली शराब प्रदान करने और उत्पाद शुल्क राजस्व को सुरक्षित करने के लिए, यह सिफारिश की जाती है कि आईएमएफएल और बीयर पर उत्पाद शुल्क बिक्री कर सहित हो सकता है"। यह देखते हुए, उक्त अधिकारी ने यह भी उल्लेख किया कि प्रस्तावित नीति को जल्द से जल्द अनुमोदित किया जा सकता है ताकि नीलामी के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा सके। इसके बाद मामला उप आबकारी और कराधान आयुक्त के पास गया, जिन्होंने सहायक आबकारी और कराधान आयुक्त द्वारा किए गए प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की कि बिक्री कर को आईएमएफएल और बीयर पर उत्पाद शुल्क के साथ विलय कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद इस मामले को आबकारी और कराधान आयुक्त द्वारा अपने दिनांक 7 मार्च, 1991 के नोट के माध्यम से निपटाया गया था, जिसके प्रासंगिक भाग को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है -

"एफएस कृपया वर्ष 1991-1992 के लिए प्रस्तावित आबकारी नीति का अवलोकन कर सकते हैं। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा राज्यों से घिरा हुआ है। इसलिए, इन दोनों राज्यों की आबकारी नीतियों के पहलू पर बारीकी से विचार करने के बाद आबकारी नीति तैयार की जानी है। इस वर्ष हम देशी शराब की दुकानों की संख्या को कम करने का प्रस्ताव करते हैं..... आईएमएफएल के संबंध में। आईएमएफएल और बीयर पर लगाए जाने वाले शुल्क के संबंध में कुछ बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं।

7. वित्त सचिव ने 12 मार्च, 1991 के अपने नोट में कहा कि विभाग के अधिकारियों द्वारा वर्ष 1991-1992 के लिए शुरू की गई प्रस्तावित मसौदा आबकारी नीति का मूल उद्देश्य शहर में उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्ता वाली शराब प्रदान करना और देशी शराब और भारत निर्मित विदेशी शराब के बीच अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा को हतोत्साहित करना था। साथ ही यह भी कि अधिकारियों द्वारा बनाई गई नीति वर्ष 1990-1991 के समान थी और इस विषय पर प्रासंगिक कुछ परिवर्तन/संशोधन निम्नानुसार हैं -

(i) देशी शराब के लिए वर्ष 1991-1992 के वाषक कोटे को 1990-1991 के अतिरिक्त कोटे के साथ मिलाने का प्रस्ताव है और पिछले वर्ष के 759 लाख पीएल देशी शराब और 60 डिग्री के रम/जिन/व्हिस्की के रूप में मूल कोटे का 40 प्रतिशत की तुलना में 1155 लाख पीएल निर्धारित किया गया है। यह प्रस्ताव इसलिए किया जा रहा है ताकि देशी शराब की घटनाओं में कमी लाई जा सके और देशी शराब की बिक्री के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान को आईएमएफएल यानी 60 डिग्री रम/जिन/व्हिस्की की बिक्री से होने वाले लाभ से कम किया जा सके। इससे नीलामी के दौरान देशी शराब कुछ आकर्षक हो जाएगी।

एक और कारण यह है कि चंडीगढ़ के लोग देसी शराब की तुलना में आईएमएफएल को पसंद करते हैं। आईएमएफएल का कोटा वर्ष 1990-1991 में दिए गए कोटे की तुलना में अधिक है।

(ii) रम/जिन और व्हिस्की के रूप में 60 डिग्री के प्रोत्साहन कोटे को 4 प्रतिशत के तीन स्लैब में देने का प्रस्ताव है, यदि घटना क्रमश 33 रुपये, 34 रुपये और 35 रुपये से अधिक है। अधिकतम प्रोत्साहन कोटा 12 प्रतिशत की सीमा तक प्रस्तावित है।

(iii) आईएमएफएल पर पंजाब में शुल्क की दर 1991-1992 में 33 रुपये प्रति पीएल से घटाकर 26 रुपये कर दी गई है, जबकि हमने 1991-1992 में भी शुल्क को 20 रुपये प्रति पीएल बनाए रखा है। पंजाब और संघ राज्य क्षेत्र के बीच यह अंतर जानबूझकर रखा गया है क्योंकि चंडीगढ़ एक गैर-उत्पादक क्षेत्र है जबकि पंजाब और हरियाणा की अपनी डिस्टिलरी हैं। चंडीगढ़ में शराब का आयात निर्यात शुल्क, माल

भाड़ा और कर आदि के भुगतान के अधीन है। इन शुल्कों से चंडीगढ़ में शराब महंगी हो जाती है। इसके अलावा, चंडीगढ़ में देशी शराब की कीमत पंजाब और हरियाणा की तुलना में लगभग दोगुनी है। आईएमएफएल की लागत कम रखकर हम देशी शराब के व्यापार में होने वाले नुकसान की भरपाई करने में सक्षम हैं।

(iv) वर्ष 1990-1991 में बीयर पर शुल्क 650 मिलीलीटर की प्रति बोतल 2 रुपए था। सभी प्रकार की बीयर। यह एक सुखद अनुभव नहीं रहा है। इसलिए बीयर पर शुल्क की दर को 2 रुपये से घटाकर 1 रुपये प्रति बोतल करने का प्रस्ताव है। इससे बीयर के अधिक उठान को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि चंडीगढ़ के लोग बीयर पीने के शौकीन हैं।

(v) वर्ष 1991-1992 में एल-1 (थोक आईएमएफएल) का लाइसेंस शुल्क और नवीकरण शुल्क 1.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये, एल-12 (क्लब बार) के लिए 7,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये और एल-2 और एल-15 (बॉटलिंग) के लिए 2,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। अन्य लाइसेंस शुल्क वही रहता है।

(vi) xxxxx

(vii) xxxxx

(viii) xxxxx

(xiv)xxxx"

8. ऊपर दिए गए परिवर्तनों/संशोधनों के अवलोकन से पता चलता है कि भले ही आबकारी विभाग के अधिकारियों ने शराब की बिक्री के लिए नीति में एक बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव दिया था, या तो बिक्री कर को पूरी तरह से छूट दी थी या इसे उत्पाद शुल्क के साथ विलय कर दिया था, फिर भी वित्त सचिव ने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि ऊपर उल्लिखित शामिल परिवर्तनों/ संशोधनों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। आईएमएफएल की बिक्री पर बिक्री कर की छूट के संबंध में। 15 मार्च, 1991 को प्रशासक के सलाहकार, वित्त सचिव, आबकारी एवं कराधान आयुक्त, उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त तथा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त के बीच एक बैठक हुई और विचार-विमर्श के बाद विभाग द्वारा प्रस्तावित मौजूदा आबकारी नीति पर आधारित वर्ष 1991-1992 की आबकारी नीति को उपर्युक्त परिवर्तनों/संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया। यद्यपि वर्ष 1991-

1992 की आबकारी नीति पर विस्तार से चर्चा की गई थी और बैठक में, जिसका संदर्भ ऊपर दिया गया है, वर्ष 1990-1991 के लिए आबकारी नीति को संशोधनों के साथ बनाए रखने का निर्णय लिया गया था, फिर भी आबकारी और कराधान आयुक्त के मौखिक आदेशों पर, बिक्री कर को समाप्त करने से संबंधित मामले को 8 अप्रैल, 1991 को सहायक उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त द्वारा प्रशासक को परामर्शी पत्र के समक्ष पुन प्रस्तुत किया गया था। सहायक आबकारी और कराधान आयुक्त द्वारा बनाया गया नोट निम्नानुसार है -

"योग्य ईटीसी के मौखिक आदेशों के अनुसार, बिक्री कर को समाप्त करने के संबंध में मामला प्रशासक को योग्य सलाहकार के अवलोकन के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

वर्ष 1990-1991 में, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आईएमएफएल पर उत्पाद शुल्क 1 रुपये प्रति पीएल की दर से सहायक उत्पाद शुल्क के साथ 20 रुपये प्रति पीएल था। पंजाब राज्य में, भारत निर्मित विदेशी शराब पर शुल्क की दर 33 रुपये प्रति पीएल थी। पंजाब राज्य ने इस शुल्क को 33 रुपये से घटाकर 26 रुपये प्रति पीएल कर दिया। पंजाब में, आबकारी राजस्व का एक बड़ा हिस्सा देशी शराब से प्राप्त होता है और एल -2 (विदेशी शराब) की दुकानें औने-पौने दामों पर दी जाती हैं। जबकि चंडीगढ़ एक शहरी उन्मुख भौगोलिक इकाई है और मुख्य व्यापार भारत निर्मित विदेशी शराब का है। यहां तक कि राजस्व का एक बड़ा हिस्सा विदेशी शराब से आता है। राजस्व को बनाए रखने के लिए उत्पाद शुल्क में अंतर बनाए रखना होगा। चूंकि पंजाब ने उत्पाद शुल्क को 33 रुपये से घटाकर 26 रुपये प्रति पीएल कर दिया था, इसलिए राजस्व की सुरक्षा के लिए, ईटीओ (आबकारी) द्वारा पृष्ठ 7 पर, एईटीसी (उत्पाद शुल्क) द्वारा पृष्ठ 16 पर आईएमएफएल और डीईटीसी (वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्तुत आबकारी नीति में उत्पाद शुल्क) द्वारा आईएमएफएल पर बिक्री कर को कम करने के बजाय आईएमएफएल पर बिक्री कर को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया था।

आईएमएफएल पर बिक्री कर को हरियाणा राज्य की तर्ज पर समाप्त कर दिया गया था जहां आईएमएफएल और बीयर पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है और कोई बिक्री कर नहीं है। 20 मार्च, 1991 को नीलामी शुरू होने से पहले प्रेस के माध्यम से बिक्री कर को समाप्त करने के संबंध में व्यापक प्रचार किया गया और संभावित बोलीदाताओं को घोषणाएं पढ़कर सुनाई गईं।

वर्ष 1990-1991 में, टीएमएफआई पर बिक्री कर लगभग 1.31 करोड़ रुपये था। बिक्री कर पहले चरण में लगाया गया था और एल -1 लाइसेंसधारक पहले दिन से तिमाही के अंत तक बिक्री कर की राशि एकत्र करना और उपयोग करना शुरू कर देते हैं। तिमाही की समाप्ति के बाद, वे एक महीने की अवधि के लिए

राशि को बनाए रखने के हकदार हैं क्योंकि रिटर्न तिमाही की समाप्ति से 30 दिनों की अवधि के बाद दाखिल किया जाना है। इस तरह, एल.1 लाइसेंसधारक कुछ महीनों की अवधि के लिए एकत्र किए गए बिक्री कर की राशि का उपयोग करता है। कभी-कभी वे रिटर्न के साथ कर का कम भुगतान करते हैं और कभी-कभी वे इसे पूरी तरह से भुगतान नहीं करते हैं। यह जानना मुश्किल है कि उन्होंने संपूर्ण बिक्री कर जमा किया है या नहीं, क्योंकि मूल्यांकन राज्य के बिक्री कर अधिनियम के तहत आकलन प्राधिकरण द्वारा तैयार किया जाता है, आमतौर पर दो या तीन साल की अवधि के बाद। ड्यूटी हमेशा अग्रिम में भुगतान की जाती है। इस प्रकार अब 120 दिनों के बाद एकत्र की जाने वाली राशि का अग्रिम भुगतान किया जाएगा। लाइसेंसधारक पहले ड्यूटी का भुगतान करेंगे और फिर उन्हें परमिट मिलेगा। इसलिए विभाग को यह पैसा अग्रिम में मिल जाएगा।

एल.1 (थोक) व्यापारी कभी नहीं चाहते थे कि बिक्री कर को समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उनके पास यह पैसा उनके व्यावसायिक हित के लिए होता था, लेकिन अब विभाग आबकारी नीति में अपनाए गए इस नए उपाय से इस पैसे को अग्रिम में एकत्र कर सकेगा।

वर्ष 1990-1991 में कुल उत्पाद शुल्क 7.74 करोड़ रुपये और बिक्री कर 1.31 करोड़ रुपये था। नए उपाय (बिक्री कर के उन्मूलन) के साथ आईएमएफएल की खपत निश्चित रूप से बढ़ेगी और यह अनुमान है कि उत्पाद शुल्क इस वर्ष के दौरान 9.05 करोड़ रुपये की तुलना में 10.25 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किया जाएगा, जो 1990-1991 की तुलना में लगभग 11 प्रतिशत अधिक होगा। इसलिए बिक्री कर के नुकसान की भरपाई उत्पाद शुल्क के अधिक संग्रह से की जाएगी।

चंडीगढ़ में पिछले कुछ वर्षों से देशी शराब का व्यापार व्यवहार्य नहीं था। इसे स्वस्थ बनाने के लिए, वर्ष 1987-1988 से, देशी शराब की दुकानों को आईएमएफएल 55 डिग्री के आकार में अतिरिक्त कोटा दिया गया था। देशी शराब की दुकानों पर आईएमएफएल की इस आपूर्ति को बिक्री कर की वसूली से छूट दी गई थी। यह छूट देशी शराब के व्यापार के लिए मददगार थी और इसने इस व्यापार को कुछ जीवन दिया। इस नीति को 1987-1988 से अपनाया जा रहा है।

इसलिए बिक्री कर के इस उन्मूलन से बहुत अधिक उठान होगा और जिसके परिणामस्वरूप राजस्व में समग्र वृद्धि होगी। यहां यह बताने की जरूरत नहीं है कि विभाग ने पहले ही आबकारी नीलामी के समय 6 करोड़ रुपये अधिक राजस्व एकत्र किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 34 प्रतिशत है।

9. दिनांक 18 अप्रैल, 1991 के नोट के *माध्यम से* प्रशासक के सलाहकार ने आदेश दिया कि बिक्री कर को समाप्त करने के संबंध में उपरोक्त नोट को उस मुख्य फाइल के साथ जोड़ा जाए जिस पर वर्ष 1991-1992 के लिए शराब नीति को मंजूरी दी गई थी और उस पर चर्चा की गई थी। वित्त सचिव ने दिनांक 19 अप्रैल, 1991 के अपने नोट के *माध्यम से* उस समय आईएमएफएल पर बिक्री कर समाप्त करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया और उसी दिन प्रशासक के सलाहकार के समक्ष नोट प्रस्तुत किया, जिन्होंने उसी तारीख के अपने नोट में लिखा कि आईएमएफएल की अधिक बिक्री को प्रोत्साहित करके राजस्व को बढ़ावा देने की दृष्टि से हम आईएमएफएल पर बिक्री कर को मौजूदा 10 प्रतिशत से घटाकर प्रायोगिक आधार पर करने पर विचार कर सकते हैं। वर्ष 1991-1992 के दौरान यह 5 प्रतिशत तक बढ़ गया और यदि बिक्री कर में कमी से उत्पाद शुल्क के राजस्व में वृद्धि करने में मदद मिलती है, तो इस पर बाद में विचार किया जा सकता है कि क्या आईएमएफएल पर बिक्री कर में कुल कमी की जानी चाहिए। इसलिए प्रशासक के सलाहकार ने अपने नोट के *तहत* वर्ष 1991-1992 के दौरान बिक्री कर को पूरी तरह समाप्त करने के बजाय आईएमएफएल पर बिक्री कर को मौजूदा 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है। यह मामला अंततः 29 अप्रैल, 1991 को प्रशासक (पंजाब के राज्यपाल) के समक्ष अंतिम निर्णय के लिए आया, जो इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। तथापि, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि नीलामी 20 मार्च, 1991 को ही हो चुकी थी और निस्संदेह बोलियों की नीलामी के समय खंड 44 के अनुसार घोषणाएं की गई थीं जिसके *तहत* आईएमएफएल/बीयर की बिक्री पर कोई बिक्री कर नहीं लगाया जाना था। भले ही यह केवल 29 अप्रैल, 1991 को है। चूंकि प्रशासक ने निर्णय लिया था और अंततः बिक्री कर की नीति को अस्वीकार कर दिया था, आबकारी विभाग के अधिकारियों ने शायद बिक्री कर में छूट देने की नीति के अनुमोदन की प्रत्याशा में, इस मामले में कार्रवाई की और एक अन्य फाइल से यह स्पष्ट है कि 15 मार्च, 1991 को एक आबकारी निरीक्षक ने "आईएमएफएल 75 डिग्री और बीयर पर बिक्री कर की वसूली से छूट" शीर्षक के तहत एक नोट बनाया। वर्ष 1991-1992 के लिए आबकारी नीति को प्रशासक, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ द्वारा अनुमोदित किया गया है, और यह निर्णय लिया गया है कि अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल, 1991 से आईएमएफएल 75 डिग्री और बीयर की बिक्री पर कोई बिक्री कर नहीं होगा। अर्थात्, पंजाब आबकारी शराब परिभाषा, 1954 के पैरा 2 के उप-पैरा (2) में अनुसूची 'ए' से परिभाषित विदेशी शराब और इस आइटम को पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 की अनुसूची 'बी' में जोड़ा जाए। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ द्वारा अनुमोदन के संबंध में नोट में संदर्भ गलत प्रतीत होता है क्योंकि यह केवल प्रशासक के सलाहकार थे जिन्होंने इसे मंजूरी दी थी, न कि स्वयं प्रशासक। तथापि, यह मामला 22 मार्च, 1991 को विधिक स्मरणकर्ता के समक्ष आया, जिसने कहा कि अधिसूचना के प्रारूप में

जहां तक उपयुक्त संशोधन किया गया है, प्रशासनिक विभाग द्वारा उस पर विचार किया जा सकता है। फाइल से यह नहीं कहा गया है कि यह किसने किया, बल्कि विभाग में किसी ने दिनांक 26 मार्च, 1991 के नोट के माध्यम से उल्लेख किया है कि चूंकि विधिक स्मरणकर्ता ने वर्ष 1991-1992 के लिए आबकारी नीति के संबंध में जारी किए जाने वाले नोटिस के प्रारूप की जांच की थी जिसमें आईएमएफएल 75 डिग्री और बीयर पर बिक्री कर लगाने से छूट दी गई थी और ऐसा करने के लिए सक्षम प्रशासक ने पहले ही अनुमोदन दे दिया है। आम जनता से आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रस्तावित संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना, जैसा कि विधि विभाग द्वारा जांचा गया है, अब अधिकारियों को यह देखना था कि क्या चंडीगढ़ के प्रशासक की मंजूरी उन्हें प्रस्तुत करके फिर से प्राप्त की जा सकती है। पुन इस मामले से निपटने वाले अधिकारी ने दिनांक 26 मार्च, 1991 के नोट के माध्यम से यह कहना सही नहीं था कि बिक्री कर में छूट से संबंधित मामले को प्रशासक द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और यह दोहराया जा सकता है कि इसे प्रशासक के सलाहकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। 24 अप्रैल, 1991 को वित्त विभाग के कुछ अधिकारियों द्वारा किए गए नोट के माध्यम से यह उल्लेख किया गया था कि आबकारी और कराधान आयुक्त चाहते थे कि एक अंतिम अधिसूचना जारी की जाए क्योंकि बिक्री कर को समाप्त करने के लिए कोई सुझाव/आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं। नोट को वित्त सचिव को भेजा गया था, जिन्होंने उसी तारीख के अपने नोट में उल्लेख किया था कि जहां तक मुख्य प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है और प्रशासक के अनुमोदन के लिए प्रशासक के सलाहकार को प्रस्तुत किया गया है, मामले को लंबित रखा जा सकता है। 4 जून, 1991 को। मामले को फिर से उठाया गया और यह उल्लेख किया गया कि अभी तक कोई मामला प्राप्त नहीं हुआ है और मामले को अगले आदेश के लिए अधिकारियों के समक्ष रखा जा सकता है। इस मामले का संदर्भ 'अब तक प्राप्त नहीं हुआ है' प्रशासक की मंजूरी के संबंध में प्रतीत होता है, जो स्पष्ट रूप से नकारात्मक में दिया गया था, संभवतः आबकारी विभाग तक पहुंच सकता था। तथापि, 19 जून, 1991 को वित्त विभाग के एक अधिकारी द्वारा एक अन्य नोट लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि आबकारी और कराधान विभाग से स्थिति का पता लगाने के बाद, प्रस्ताव अभी भी आबकारी और कराधान आयुक्त और वित्त सचिव के बीच विचाराधीन है, इस मामले को प्रशासन द्वारा इसके अंतिम अनुमोदन तक लंबित रखा जाए। जैसा कि वित्त सचिव की इच्छा है। पुन, अधीक्षक वित्त-IV के दिनांक 7 अगस्त, 1991 के नोट के माध्यम से यह उल्लेख किया गया था कि यद्यपि पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम में संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की गई थी, फिर भी कोई अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की गई थी क्योंकि इसे वित्त सचिव द्वारा उनकी टिप्पणियों के अनुसार अनुमोदित नहीं किया गया था और इसलिए, मामला अभी भी विचाराधीन है, अधिकारी आवश्यक जानकारी मांग सकते हैं। उक्त फाइल पर, अन्य नोटिंग भी हैं, लेकिन उन लोगों का उल्लेख

करने के लिए उपयोगी उद्देश्य पूरा होगा क्योंकि वे वर्तमान मामले पर निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। हालांकि, उपरोक्त फाइल पर, 30 मार्च की अधिसूचना का मसौदा; 1990 को भी टैग किया गया है।

10. तथ्यों के बारे में पूरी तरह से विस्तार से बताया गया है, इस प्रकार, श्री जैन का यह तर्क कि वर्ष 1991-1992 के लिए आईएमएफएल और बीयर पर बिक्री कर में छूट देने की नीति को एक अधिसूचना जारी करके तार्किक अंत तक ले जाया गया था ताकि पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम में संशोधन किया जा सके, पूरी तरह से सही नहीं है। भले ही प्रशासक के सलाहकार ने बिक्री कर की छूट को मंजूरी दे दी थी, लेकिन इसे स्वयं प्रशासक का समर्थन नहीं मिला। अधिनियम में संशोधन करने और आईएमएफएल के प्रवेश को अनुसूची 'ए' से अनुसूची 'बी' में बदलने के लिए अपेक्षित अधिसूचना जारी करने के संबंध में मामले को प्रशासक के अनुमोदन की प्रत्याशा में कानूनी स्मरणकर्ता से मसौदा अधिसूचना अनुमोदित करके आगे बढ़ाया गया था और फिर भी फाइलों से यह स्पष्ट है जिसका संदर्भ ऊपर दिया गया है, कि इस तरह की अधिसूचना अंततः स्पष्ट कारण से अस्तित्व में नहीं आई कि उक्त नीति को प्रशासक द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। यद्यपि यह सच है कि बिक्री कर में छूट के संबंध में अंतिम रूप से निर्णय लिए जाने से पहले प्रतिवादियों ने नीलामी बोली में की गई घोषणाओं के खंड 44 के तहत लाइसेंसधारक को स्पष्ट रूप से सूचित किया था कि वर्ष 1991-1992 के लिए आईएमएफएल/बीयर की बिक्री पर कोई बिक्री कर नहीं लगेगा। मैं मामले के इस पहलू पर बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस न्यायालय द्वारा निर्धारित करने की मांग करता है, वह यह है कि क्या ऊपर पूरी तरह से विस्तृत तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसधारक और प्रतिवादियों के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध अस्तित्व में आया है जिसे इस अदालत द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत लागू किया जा सकता है। यदि इस प्रश्न का उत्तर यह है कि नीलामी बोलियों के समय की गई घोषणाएं और उनकी स्वीकृति एक बाध्यकारी अनुबंध में परिपक्व होगी, तो अगला प्रश्न जो तुरंत सामने आएगा वह यह है कि क्या प्रतिवादी अधिकारियों को अनुबंध की उक्त शर्तों को जोड़ने के लिए निर्देशित किया जा सकता है, भले ही बिक्री कर की छूट केवल आईएमएफएल / बीयर पर बिक्री कर को हटाकर की जा सकती है। 1948 के अधिनियम की धारा 6। श्री जैन ने जांच के लिए एक और प्रश्न प्रस्तुत किया है और वह यह है कि क्या प्रतिवादी-प्राधिकारी न्यायसंगत समानता के सिद्धांत पर अपनी प्रतिबद्धताओं से बंधे हैं और यह भी कि क्या इक्विटी या मामले में याचिकाकर्ताओं को वांछित राहत की आवश्यकता है।

11. पहले प्रश्न पर कि क्या यह पक्षों के बीच बाध्यकारी अनुबंध का मामला है, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री जैन ने मुझे भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के एक फैसले के माध्यम से सीधे हर शंकर बनाम

उप आबकारी और कराधान आयुक्त¹ के रूप में लिया है। श्री जैन का तर्क यह है कि जहां तक उपरोक्त मामला समान तथ्यों पर है और सभी मामलों में मामले को कवर करता है, उन्हें अनुबंध अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों से गुजरने की कोई आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त मामले के तथ्यों से पता चलेगा कि उक्त मामले के याचिकाकर्ता जो शराब की दुकान के लाइसेंस धारक भी थे, ने विभिन्न आधारों पर नीलामी को नियंत्रित करने वाली शर्तों को चुनौती दी थी। जैसे वित्तीय आयुक्त के पास नीलामी आयोजित करके शराब लाइसेंस प्रदान करने के लिए नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं थी, कि पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धारा 34 के तहत, वित्तीय आयुक्त के पास किसी भी राशि के लेवी या संग्रह को अधिकृत करने का कोई अधिकार नहीं था और इसी तरह, उक्त मामले के प्रतिनिधियों से एक दुर्जय प्रारंभिक आपत्ति का सामना करना पड़ा। देशी शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए आयोजित नीलामी में देशी शराब की दुकानों ने नीलामी आयोजित होने से पहले घोषित की गई शर्तों के तहत स्वेच्छा से अपनी बोली लगाई थी और बोलीदाताओं ने नीलामी में बिना किसी शर्त के भाग लिया था और उन प्रतिबद्धताओं की पूरी जानकारी के साथ जो इसमें शामिल दुकानों को उनकी बोलियों की स्वीकृति से उत्पन्न संविदात्मक दायित्वों से बचने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। उक्त मामले के प्रतिवादियों द्वारा उठाई गई इस आपत्ति को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पूरा किया गया था और यह इस प्रकार देखा गया था -

उन्होंने कहा, 'देशी शराब की दुकानों को चलाने के इच्छुक लोगों ने देसी शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस देने के लिए आयोजित नीलामी में स्वेच्छा से अपनी बोली लगाई। नीलामी आयोजित होने से पहले नीलामी के नियमों और शर्तों की घोषणा की गई थी और बोलीदाताओं ने बिना किसी शर्त के और बोली में शामिल प्रतिबद्धताओं की पूरी जानकारी के साथ नीलामी में भाग लिया। नीलामी को नियंत्रित करने वाली शर्तों की घोषणा उन लोगों के लिए एक प्रस्ताव के निमंत्रण की प्रकृति में थी जो देशी शराब की बिक्री में रुचि रखते थे। इन नीलामियों में दी गई निविदाएं भावी विक्रेताओं द्वारा सरकार को की गई पेशकश थीं। सरकार द्वारा उन बोलियों को स्वीकार करना उसे दिए गए इच्छुक प्रस्तावों की स्वीकृति थी। इस तरह की स्वीकृति पर, बोलीदाताओं और सरकार के बीच अनुबंध समाप्त हो गया और उनके बीच एक बाध्यकारी समझौता अस्तित्व में आया। सफल बोलीदाताओं को तब उनके और सरकार के बीच अनुबंध की शर्तों को पूरा करते हुए लाइसेंस दिए गए थे, जिसके तहत वे शराब बेचने के हकदार बन गए थे। लाइसेंसधारकों ने अपनी मुद्रा की अवधि के एक हिस्से के लिए संबंधित लाइसेंस का दुरुपयोग किया, संभवतः लाभ की उम्मीद में। वाणिज्यिक विचारों ने साहसिक कार्य की लाभप्रदता के प्रारंभिक मूल्यांकन में निर्णय की त्रुटि का खुलासा किया हो सकता है

¹ (1975) 1 SCC 737 : A.I.R. 1975 S.C. 1121.

लेकिन यह सभी व्यापारिक लेनदेन की एक सामान्य घटना है। जो लोग खुली आंखों से अनुबंध करते हैं, उन्हें इसके लाभों के साथ अनुबंध के बोझ को स्वीकार करना चाहिए।

12. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को पढ़ने से यह सच है कि नीलामी में याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई बोलियां प्रतिवादियों को की गई पेशकश थीं और उक्त बोलियों की स्वीकृति पर, बोलीदाताओं और प्रतिवादियों के बीच एक अनुबंध अस्तित्व में आया था और इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि यह समाप्त अनुबंध का मामला था। श्री सिब्लल विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए, मामले के इस पहलू को छुए बिना, इस बिंदु पर जोर दिया गया है कि बिक्री कर की छूट के संबंध में मामला विधायिका के विशेष डोमेन में होने के कारण केवल उत्तरदाताओं द्वारा अनुसूची 'ए' से प्रश्न में प्रविष्टि को हटाकर और इसे अनुसूची 'बी' में सम्मिलित करके किया जा सकता है और जहां तक इस पाठ्यक्रम को नहीं अपनाया गया था, यद्यपि एक बाध्यकारी संविदा अस्तित्व में आ गई थी, फिर भी इसे लागू नहीं किया जा सका क्योंकि कोई भी न्यायालय कभी भी सरकार को कानून के किसी प्रावधान को लागू करने से बचने का निर्देश नहीं दे सकता था। श्री सिब्लल के तर्क की सराहना करने के लिए, धारा 5 और धारा 6 के प्रासंगिक भाग के साथ-साथ अनुसूची 'ए' की प्रासंगिक प्रविष्टि 24 को पुनः प्रस्तुत करना उपयोगी होगा: -

"5 (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए डीलर के कर योग्य कारोबार पर एक रुपये में सात पैसे से अधिक की दर से कर नहीं लगाया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देश दे:

.....

परन्तु इस अधिनियम में संलग्न अनुसूची क में विनिदष्ट वस्तुओं की बिक्री पर ऐसी दर से, जो इस प्रकार अधिसूचित की जाए, एक रुपये में दस पैसे से अधिक नहीं लगाई जा सकती है, ऐसी तारीख से, जैसा कि सरकार अधिसूचना द्वारा निदेश दे। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा कम से कम बीस दिन की सूचना देने के पश्चात् इस अनुसूची में इस अनुसूची को जोड़ या हटा सकती है, और उसके बाद यह अनुसूची तदनुसार संशोधित मानी जाएगी:

बशर्ते कि किसी भी घोषित सामान के संबंध में कर की दर एक रुपये में चार पैसे से अधिक नहीं होगी।

परन्तु सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकेगी कि किसी वस्तु या माल के वर्ग के संबंध में सौदा इस अधिनियम के अधीन देय कर की संरचना के माध्यम से एकमुश्त भुगतान कर सकता है, जैसा कि सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे।

(1क) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि घोषित वस्तुओं के अतिरिक्त ऐसी वस्तुओं के संबंध में और अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाने वाली ऐसी तारीख से उपधारा (1) के अधीन कर उसकी बिक्री के प्रथम चरण में लगाया जाएगा और ऐसी अधिसूचना जारी होने पर ऐसी वस्तुओं पर कर तदनुसार लगाया जाएगा:

परन्तु बाद के चरण में ऐसी वस्तुओं की किसी भी बिक्री को इस अधिनियम के अंतर्गत कर से छूट नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसे अनुवर्ती चरण में बिक्री करने वाला डीलर निर्धारित प्रपत्र और रीति में कर निर्धारण प्राधिकारी को पंजीकृत डीलर, जिससे माल खरीदा गया था, द्वारा विधिवत रूप से भरा और हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है।

स्पष्टीकरण: - इस उप-संप्रदाय के उद्देश्य के लिए डीलरों के किसी भी वर्ग के संबंध में किसी भी माल के संबंध में बिक्री का पहला चरण ऐसा होगा जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाए।

.....
....."

कर मुक्त वस्तुएं

(1) अनुसूची ख के प्रथम स्तंभ में विनिर्दिष्ट वस्तुओं की बिक्री पर उसके दूसरे कॉलम में तदनुरूपी प्रविष्टि में निर्धारित शर्तों और अपवादों, यदि कोई हों, के अध्यधीन कोई कर देय नहीं होगा और कोई भी डीलर उन वस्तुओं की बिक्री पर बिक्री कर नहीं लेगा जिन्हें इस धारा के तहत समय-समय पर कर मुक्त घोषित किया गया है।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसा करने के अपने इरादे की कम से कम बीस दिन की सूचना देने के बाद, अधिसूचना द्वारा अनुसूची ख में जोड़ सकेगी या हटा सकेगी और उसके बाद अनुसूची 'ख' को तदनुसार संशोधित समझा जाएगा।

"अनुसूची ए।

(खंड 5(1) देखें।

माल की सूची

एस.एन.

माल का विवरण

1 से 23

XXXXXXXXXX

(24) पंजाब आबकारी शराब परिभाषा, 1954 के पैरा 2 के उप-पैरा (2) में परिभाषित विदेशी शराब।

ऊपर प्रस्तुत की गई चार्जिंग धारा 5 और अनुसूची 'ए' में प्रविष्टि 24 के अवलोकन से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि शराब की बिक्री बिक्री कर के दायरे में नहीं आती है। यहां तक कि अगर बिक्री कर नहीं लेने के लिए पार्टियों के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध है, तो याचिकाकर्ता केवल तभी सफल हो सकते हैं जब कानून के तहत वे इस अदालत को अनुसूची 'ए' से उक्त प्रविष्टि को हटाने के लिए निर्देश जारी करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा कोर्स उनके लिए खुला नहीं है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के एक बाध्यकारी फैसले द्वारा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कवर किया गया है, जिसे *नरिंदर चंद हेम राज बनाम उपराज्यपाल, प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश²* के रूप में रिपोर्ट किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसी मुद्दे पर समान तथ्यों के तहत विचार करते हुए निम्नानुसार टिप्पणी की -

उन्होंने कहा, '31 अगस्त 1966 तक भारत में बनी विदेशी शराब अनुसूची बी में थी। लेकिन उस तारीख को पंजाब सरकार ने धारा 5 के परंतुक के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत में निर्मित विदेशी शराब को अनुसूची ख से हटा दिया और इसे उस अधिनियम की अनुसूची क में शामिल कर लिया। इस प्रकार, उक्त शराब की बिक्री बिक्री कर के लिए उत्तरदायी हो गई। जब पुनर्गठन हुआ था तब पंजाब में यह कानून लागू था। इसलिए शिमला और अन्य एम क्षेत्र जो पहले अविभाजित पंजाब राज्य के हिस्से थे, पुनर्गठन के बाद भी उस कानून द्वारा शासित होते रहे। हमारा ध्यान उस अधिनियम के किसी भी प्रावधान की ओर नहीं दिलाया गया है जो सरकार को किसी करदाता को कर के भुगतान से छूट देने का अधिकार देता है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता कानून के तहत लगाए गए कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। अपीलकर्ता वास्तव में चाहता है कि अदालत से सक्षम प्राधिकारी को अनुसूची 'ए' से संबंधित

² (1971) 2 SCC 747 : A.I.R. 1971 S.C. 2399.

प्रविष्टि को हटाने और इसे अनुसूची 'बी' में शामिल करने का आदेश दिया जाए। हम इस प्रश्न पर नहीं जाएंगे कि क्या हिमाचल प्रदेश सरकार अपने प्राधिकार से इस परिवर्तन को करने में सक्षम थी या नहीं। हम अपने वर्तमान उद्देश्य के लिए यह मान लेंगे कि उसके पास ऐसी शक्ति थी। कर लगाने की शक्ति निस्संदेह एक विधायी शक्ति है। उस शक्ति का उपयोग विधायिका द्वारा सीधे या कुछ शर्तों के अधीन किया जा सकता है, विधायिका उस शक्ति को किसी अन्य प्राधिकरण को सौंप सकती है। लेकिन उस शक्ति का प्रयोग, चाहे विधायिका द्वारा या उसके प्रतिनिधि द्वारा, एक विधायी शक्ति का प्रयोग है। तथ्य यह है कि शक्ति कार्यपालिका को सौंप दी गई थी, उस शक्ति को कार्यकारी या प्रशासनिक शक्ति में परिवर्तित नहीं करता है। कोई भी अदालत विधायिका को किसी विशेष कानून को लागू करने के लिए जनादेश जारी नहीं कर सकती है। इसी प्रकार कोई भी न्यायालय अधीनस्थ विधायी निकाय को ऐसा कानून बनाने या न करने का निर्देश नहीं दे सकता जिसे वह अधिनियमित करने में सक्षम हो। अपीलकर्ता द्वारा अपनी रिट याचिका में दी गई राहत से वास्तविक मुद्दे को सामने नहीं लाया जा सकता है। वास्तव में वह चाहते हैं कि यह न्यायालय सरकार को अनुसूची क से प्रविष्टि को हटाने और इसे अनुसूची ख में शामिल करने का निर्देश दे। संविधान के अनुच्छेद 265 में कहा गया है कि कानून के प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया और एकत्र नहीं किया जा सकता है। इसलिए कर की लेवी केवल कानून के प्राधिकरण द्वारा की जा सकती है, न कि किसी कार्यकारी आदेश द्वारा। जब तक कार्यपालिका को कानून द्वारा विशेष रूप से कोई छूट देने का अधिकार नहीं दिया जाता है, तब तक वह यह नहीं कह सकती है कि वह किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कानून को लागू नहीं करेगी। कोई भी न्यायालय सरकार को कानून के किसी प्रावधान को लागू करने से बचने का निर्देश नहीं दे सकता है। इन परिस्थितियों में, हमें यह कहना चाहिए कि अपीलकर्ता द्वारा मांगी गई राहत नहीं दी जा सकती है।

13. सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, यह माना जाना आवश्यक है कि भले ही पार्टियों के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध था और प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता-लाइसेंसधारियों को यह स्पष्ट कर दिया था कि कोई बिक्री कर नहीं लिया जाएगा, फिर भी अनुबंध के इस तरह के खंड को संभवतः लागू नहीं किया जा सकता है। जबकि पहला प्रश्न याचिकाकर्ताओं के पक्ष में यह कहते हुए उत्तर दिया गया है कि पार्टियों के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध था, फिर भी प्रश्न का दूसरा हिस्सा, यानी, क्या उक्त अनुबंध को लागू किया जा सकता है, साथ ही परिणामी प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दिया जाना चाहिए।

14. इस स्थिति का सामना करते हुए, श्री जैन चाहते हैं कि यह न्यायालय न्यायसंगत एस्टोपेल के सिद्धांत को यह तर्क देकर लागू करे कि याचिकाकर्ताओं ने नीलामी बोलियों के समय दिए गए वादे पर भरोसा करके अपनी स्थिति बदल दी थी कि आईएमएफएल / बीयर पर कोई बिक्री कर नहीं होगा। उन्हें वादे पर अमल करके उपरोक्त वादे का सामना करना पड़ा क्योंकि नीलामी की बोलियां बहुत ऊंची दरों पर पूरी हुई थीं और प्रोमिसर को अपने वादे से पीछे हटने की अनुमति देना असमान होगा। वकील का तर्क है कि न्यायसंगत एस्टॉपेल के सभी तत्व, इस प्रकार, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से पूरी तरह से आकर्षित होते हैं। उपरोक्त विवाद के लिए, वह *भारत संघ बनाम एंग्लो अफगान एजेंसियों³, संचुरी स्पनिंग एंड मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड* पर भरोसा करते हैं। बनाम *उल्हासनगर नगर परिषद⁴ मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड* बनाम *उत्तर प्रदेश राज्य⁵, पौरनामी ऑयल मिल्स बनाम केरल राज्य⁶ बिहार राज्य बनाम उषा मार्टिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड⁷* वाणिज्यिक कर सहायक आयुक्त (सहायक), *धारवाड़ बनाम धर्मद्रे ट्रेडिंग कंपनी⁸, श्री दुर्गा ऑयल मिल्स बनाम बिक्री कर अधिकारी⁹ और सुरेंद्र प्रसाद मिश्रा बनाम तेल और प्राकृतिक गैस आयोग¹⁰* इससे पहले कि श्री जैन के विवाद को इसके विस्तार में देखा जाए, यहां यह देखा जा सकता है कि 1948 के अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो सरकार को किसी भी निर्धारित को बिक्री कर के भुगतान से छूट देने का अधिकार दे सके। श्री सिब्ले द्वारा व्यक्त की गई इस तथ्यात्मक स्थिति को श्री जैन ने बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया है। यहां तक कि *नरिंदर चंद हेम राज मामले* (सुप्रा) में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि उनका ध्यान अधिनियम के किसी भी प्रावधान की ओर नहीं दिलाया गया है जो सरकार को किसी भी करदाता को कर के भुगतान से छूट देने का अधिकार देता है। उपरोक्त पृष्ठभूमि के साथ, यदि श्री जैन द्वारा उद्धृत मामलों के तथ्यों की जांच की जाती है, तो यह पता चलेगा कि भले ही याचिकाकर्ताओं को वित्तीय नुकसान हुआ हो और अकेले उस आधार पर उनके पक्ष में कुछ इक्विटी हो सकती है, लेकिन उनके द्वारा प्रचारित न्यायसंगत एस्टोपेल का सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों से आकर्षित नहीं होता है। एंग्लो अफगान एजेंसियों (सुप्रा) के मामले के तथ्यों से पता चलता है कि आयात और निर्यात अधिनियम, 1947 की धारा 3 के तहत सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955

³ A.I.R. 1968 S.C. 718.

⁴ (1970) 1 SCC 582 : A.I.R. 1971 S.C. 1021.

⁵ (1979) 2 SCC 409 : A.I.R. 1979 S.C. 621.

⁶ A.I.R. 1986 Supp SCC 728.

⁷ S.C. 65 (1987) S.T.C. 430.

⁸ (1988) 3 SCC 570 : A.I.R. 1988 S.C. 1247.

⁹ 74 (1989) S.T.C. 10 (Orissa).

¹⁰ A.I.R. 1987 Cal. 1.

जारी किया, साथ ही आयात और निर्यात लाइसेंस प्रदान करने की नीति निर्धारित करने वाले अन्य आदेश भी जारी किए। सरकार ने अधिनियम के तंत्र को सुविधाजनक बनाने के लिए एक आयात व्यापार नीति भी विकसित की है। वर्ष 1962 में सरकार ने ऊनी और वस्त्र वस्तुओं के निर्यातकों को प्रोत्साहन प्रदान करते हुए निर्यात संवर्धन योजना भी प्रख्यापित की। इसमें एक निर्यातक को अनुदान, निर्यात के एफओबी मूल्य के 100 प्रतिशत के बराबर कुल राशि के कच्चे माल के आयात के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। उपर्युक्त योजना का विस्तार अफगानिस्तान को ऊनी वस्त्रों और वस्तुओं के निर्यात तक भी किया गया था। जब आयुक्त ने बिना जांच किए कुछ निजी जांच के आधार पर कुछ अन्य निर्यातकों का आयात कोटा कम कर दिया, तो ऐसे ही एक निर्यातक ने योजना की शर्तों का पालन करने के लिए सरकार के विरुद्ध निर्देश जारी करने की मांग करते हुए रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया। सरकार का तर्क यह था कि इस योजना में केवल प्रशासनिक अनुदेश शामिल हैं और इसलिए, सरकार स्थिति की आकस्मिकताओं के आधार पर इसे बदलने के लिए सक्षम है। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि स्थिति की किसी भी आकस्मिकता के कारण योजना में परिवर्तन नहीं किया गया था और कुछ निर्यातकों का आयात कोटा कुछ निजी जांच के आधार पर कम किया गया था। इन तथ्यों और परिस्थितियों के तहत यह माना गया था कि सरकार उस अभ्यावेदन से बाध्य थी जो उसने उस कोटे के संबंध में दिया था जिसके लिए निर्यातक योजना के तहत हकदार थे। *नरिंदर चंद हेम राज* (सुप्रा) के मामले में *एंग्लो अफगान एजेंसियों* के मामले का भी हवाला दिया गया था और इसे यह देखते हुए प्रतिष्ठित किया गया था कि उक्त मामले के तथ्यों के तहत, जैसा कि पहले पुनः प्रस्तुत किया गया है, सरकार उस अभ्यावेदन से बाध्य थी जो उसने उस कोटा के संबंध में किया था जिसके लिए निर्यातक योजना के तहत हकदार थे, लेकिन निर्णय के अनुपात का विचाराधीन बिंदु पर कोई असर नहीं हो सकता है। यह फिर से देखा गया कि उक्त मामले में कानून बनाने या मौजूदा कानून को निरस्त करने के लिए कोई निर्देश जारी करने का कोई सवाल ही नहीं था।

15. *सैंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड* के मामले में अब फैसले पर आते हैं। (सुप्रा), यह देखा जाएगा कि उक्त मामले के याचिकाकर्ताओं ने 1956 में बॉम्बे राज्य से खरीदी गई साइट पर और 'औद्योगिक क्षेत्र' के रूप में जाने जाने वाले क्षेत्र में शाद गांव की सीमा के भीतर एक कारखाना स्थापित किया था। तब कंपनी द्वारा अपने उत्पादों के निर्माण में उपयोग के लिए 'औद्योगिक क्षेत्र' में आयातित वस्तुओं के संबंध में कोई चुंगी शुल्क देय नहीं था। 30 अक्टूबर, 1959 को, महाराष्ट्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की जिसमें 'औद्योगिक क्षेत्र' सहित कुछ गांवों के लिए एक नगरपालिका का गठन करने के अपने इरादे की घोषणा की गई। कंपनी और

अन्य निर्माताओं, जिन्होंने अपने संयंत्र और कारखाने स्थापित किए थे, ने नगरपालिका क्षेत्र के प्रस्तावित गठन पर आपत्ति जताई और 20 सितंबर, 1960 को, महाराष्ट्र राज्य ने 1 अप्रैल, 1960 से नगरपालिका का गठन करते हुए एक अधिसूचना प्रकाशित की, जिसमें उस क्षेत्र को शामिल किया गया जिसमें 'औद्योगिक क्षेत्र' शामिल था। कंपनी द्वारा नगरपालिका जिला क्षेत्र से 'औद्योगिक क्षेत्र' को बाहर करने के लिए अभ्यावेदन दिए गए थे और 27 अप्रैल, 1962 को महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की कि औद्योगिक क्षेत्र को नगरपालिका क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। जिला नगर पालिका ने तब महाराष्ट्र सरकार को एक अभ्यावेदन दिया कि 27 अप्रैल, 1962 की उद्घोषणा की जाए। सरकार द्वारा इसे वापस ले लिया जाए। नगर पालिका ने 'औद्योगिक क्षेत्र' में मौजूद मौजूदा कारखानों को चुंगी लगाने की तारीख से सात साल की अवधि के लिए चुंगी के भुगतान से छूट देने और नई औद्योगिक इकाइयों को स्थापना की तारीख से समान अवधि के लिए चुंगी के भुगतान से छूट देने पर सहमति व्यक्त की। महाराष्ट्र सरकार ने नगरपालिका की स्थानीय सीमा के भीतर 'औद्योगिक क्षेत्र' को बनाए रखने के लिए नगरपालिका के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। 24 अगस्त, 1963 को, जिला नगर पालिका ने समझौते को लागू करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें यह संकल्प लिया गया कि नगरपालिका मौजूदा कारखानों को चुंगी कर लगाने की तारीख से सात साल की अवधि के लिए चुंगी के भुगतान से छूट देकर और नए कारखानों को उनकी स्थापना की तारीख से सात साल की अवधि के लिए चुंगी कर के भुगतान से छूट देकर रियायत देने के लिए सहमत है। तथापि, 31 अक्टूबर, 1963 को महाराष्ट्र सरकार ने 27 अप्रैल, 1962 की उद्घोषणा को वापस लेते हुए एक अधिसूचना जारी की और औद्योगिक क्षेत्र नगरपालिका जिले का हिस्सा बन गया। नगरपालिका द्वारा दिए गए आश्वासन और वचन पर भरोसा करते हुए, उक्त मामले की याचिकाकर्ता कंपनी ने दावा किया कि उसने अपनी गतिविधियों का विस्तार किया था और अतिरिक्त संयंत्र स्थापित करके नए उत्पादों का निर्माण शुरू कर दिया था, जो वह नहीं कर सकती थी, लेकिन रियायतों के साथ-साथ दिए गए आश्वासनों और 21 मई को हुए समझौते के लिए। 1963. कंपनी द्वारा दायर याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था और अपील पर, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त आदेश को रद्द कर दिया और मामले को यह कहते हुए भेज दिया कि "सार्वजनिक निकाय अपने द्वारा किए गए तथ्यों और वादों के प्रतिनिधित्व को पूरा करने के लिए निजी व्यक्तियों के रूप में बाध्य हैं। जिस पर भरोसा करते हुए अन्य व्यक्तियों ने अपने पूर्वाग्रह के लिए अपनी स्थिति बदल दी है।

किसी व्यक्ति के खिलाफ उसके प्रतिनिधित्व से उत्पन्न होने वाले दायित्व को एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लागू किया जा सकता है जो वादे पर कार्य करता है: जब कानून के लिए आवश्यक है कि किसी सार्वजनिक निकाय के खिलाफ कानून में लागू करने योग्य अनुबंध एक निश्चित रूप में होगा या कानून द्वारा निर्धारित

तरीके से निष्पादित किया जाएगा, तो दायित्व यदि अनुबंध उस रूप में नहीं है, तो इक्विटी में उचित मामलों में उसके खिलाफ लागू किया जा सकता है।

(जोर दिया गया)

यह मुद्दा कि क्या राज्य को कानून बनाने या कानून के किसी प्रावधान को निरस्त करने के लिए कोई आदेश जारी किया जा सकता है, उक्त मामले में अदालत के समक्ष दूर-दूर तक चर्चा के लिए नहीं आया। इस प्रकार, उक्त मामले के अनुपात को वर्तमान मामले में शामिल प्रस्ताव के लिए सेवा में नहीं डाला जा सकता है। मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स लिमिटेड (सुप्रा) के मामले के तथ्यों से पता चलता है कि 10 अक्टूबर, 1968 को एक समाचार प्रकाशित हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश राज्य ने राज्य की सभी नई औद्योगिक इकाइयों को उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम की धारा 4क के अंतर्गत तीन वर्ष की अवधि के लिए बिक्री कर से छूट देने का निर्णय लिया है ताकि वे मजबूती से आगे आ सकें। विकासशील अवस्था में। उक्त समाचार-वस्तु सरकार के उद्योग विभाग के तत्कालीन सचिव द्वारा दिए गए एक बयान पर आधारित थी। उक्त मामले के याचिकाकर्ता ने घोषणा के आधार पर उद्योग निदेशक को एक पत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा घोषित बिक्री कर छूट के मद्देनजर, यह वनस्पति के निर्माण के लिए एक जल-उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का इरादा रखता है और इस बात की पुष्टि करने की मांग करता है कि उक्त औद्योगिक इकाई, जिसे उसने स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। उत्पादन शुरू करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए बिक्री कर में छूट दी जाएगी। उद्योग निदेशक ने उक्त पत्र का उत्तर देते हुए पुष्टि की कि प्रस्तावित वनस्पति कारखाने के तैयार उत्पादों पर उत्पादन शुरू करने के लिए बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए कोई बिक्री कर नहीं होगा। उक्त मामले के याचिकाकर्ता ने 22 जनवरी, 1969 को फिर से एक पत्र लिखा। सरकार के मुख्य सचिव को। इसके जवाब में, यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि प्रस्तावित वनस्पति कारखाना उत्पादन शुरू करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम से छूट का हकदार होगा और यह उत्तर प्रदेश में उस अवधि के दौरान बेचे गए सभी वनस्पति पर लागू होगा। उपर्युक्त तथ्यों पर, यह माना गया था कि सरकार की ओर से प्रतिवादियों द्वारा एक स्पष्ट अभ्यावेदन दिया गया था कि प्रस्तावित वनस्पति कारखाना तीन साल की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश में प्रभावी वनस्पति की बिक्री के संबंध में बिक्री कर से छूट का हकदार होगा। याचिकाकर्ता ने सरकार के उपरोक्त प्रतिनिधित्व पर भरोसा किया था, विभिन्न वित्तीय संस्थानों से पैसे उधार लिए थे, मेसर्स डी स्मेट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, बॉम्बे से संयंत्र और मशीनरी खरीदी थी, और कानपुर में एक वनस्पति कारखाना स्थापित किया था। उपर्युक्त तथ्यों पर, इसलिए, यह माना गया था कि वचन पत्र का सिद्धांत स्पष्ट रूप से आकर्षित था और सरकार अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए बाध्य थी

और याचिकाकर्ता को तीन साल की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश में वनस्पति की बिक्री के संबंध में बिक्री कर से छूट देने के लिए बाध्य थी। न्यायसंगत आचरण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया कि कानून द्वारा लगाए गए दायित्व या दायित्व के आधार पर वचन-पत्र लागू नहीं किया जा सकता है और साथ ही सरकार या यहां तक कि किसी निजी पक्ष को कानून द्वारा निषिद्ध कार्य करने के लिए मजबूर करने के लिए वचन पत्र का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसने आगे कहा कि विधायी शक्ति के प्रयोग के खिलाफ कोई वचन पत्र नहीं हो सकता है। विधायिका को कभी भी वचन पत्र के सिद्धांत का सहारा लेकर अपनी विधायी कार्रवाई करने से नहीं रोका जा सकता है। यह देखा जा सकता है कि तीन साल की अवधि के लिए बिक्री कर से छूट की घोषणा उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम की धारा 4 ए में निहित प्रावधानों के अनुसार की गई थी और इसलिए, बिक्री कर से छूट देने के लिए कानून के तहत ही शक्ति थी। जैसा कि इस फैसले के पहले भाग में देखा गया था, 1948 के अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी को भी शराब पर बिक्री कर से छूट देने का अधिकार दे सके। बेशक, बिक्री कर की छूट प्राप्त करने का एकमात्र तरीका अनुसूची 'ए' से संबंधित प्रविष्टि को हटाना और अनुसूची 'बी' में सम्मिलित करना है। मामला *एमपी शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड का है।* (सुप्रा) भी, इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के बचाव में नहीं आता है।

16. अब पौरनामी ऑयल मिल्स मामले की बात आती है, (सुप्रा) यह कहने के लिए पर्याप्त है कि उक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां, वास्तव में, श्री जैन द्वारा उठाए गए तर्कों के विपरीत हैं। उक्त मामले में निर्णय पढ़ने से पता चलता है कि बिक्री कर की छूट केवल सामान्य बिक्री कर अधिनियम की धारा 10 के आधार पर आई थी, जिसने सरकार को कर की दर में छूट और कमी देने की शक्ति प्रदान की थी। फैसले के पैरा 5 में यह स्पष्ट रूप से देखा गया था कि "व्यवहार्यता के साथ यह तर्क देना संभव नहीं हो सकता है कि कानून में एक सक्षम प्रावधान के अभाव में, राज्य सरकार के पास राज्य को देय कर का एक हिस्सा छोड़ने की शक्ति नहीं होगी और कानून के खिलाफ कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है"। इसी पैरा में यह भी देखा गया है कि उक्त प्रश्न नहीं उठता क्योंकि धारा 10 के अंतर्गत राज्य सरकार को कर से छूट प्रदान करने की शक्ति प्राप्त थी। जहां तक *उषा मार्टिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड* के मामले (सुप्रा) का संबंध है, उक्त मामले के पक्षों के बीच यह स्वीकार किया गया था कि यह पुरनामी ऑयल मिल्स लिमिटेड मामले (सुप्रा) में निर्धारित कानून द्वारा कवर किया गया है। इस कारण से कि *पौरनामी ऑयल मिल्स लिमिटेड* मामला याचिकाकर्ताओं को कोई मदद नहीं देता है, मामला *उषा मार्टिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड है।* याचिकाकर्ताओं को कोई सहायता भी नहीं देगा।

17. अब धर्मद्वैट ट्रेडिंग कंपनी मामले (सुप्रा) के तथ्यों पर आते हुए, यह कहना पर्याप्त है कि अपीलकर्ता विभाग के वकील की यह दलील कि 30 जून, 1969 के आदेश द्वारा दी गई रियायतें कोई कानूनी प्रभाव नहीं थीं, क्योंकि ऐसा कोई वैधानिक प्रावधान नहीं था जिसके तहत इस तरह की रियायत दी जा सकती थी, तथ्यात्मक रूप से गलत पाया गया। धारा 8-ए ने स्पष्ट रूप से राज्य सरकार को छूट और कटौती प्रदान करने का अधिकार दिया और जहां तक रिफंड धारा 8-ए के तहत कवर किया गया था, यह नहीं कहा जा सकता था कि उक्त मामले में दी गई रियायतें कानून के खिलाफ थीं। हालांकि, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, वर्तमान मामले के तथ्य यह दर्शाते हैं कि 1948 के अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो किसी को बिक्री कर में छूट देने का अधिकार देता हो। याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा इस मामले में दिए गए फैसले का भी उनके मुवक्किलों को कोई फायदा नहीं है। सुरेंद्र प्रसाद मिश्रा ने जिस मामले का हवाला दिया है, उसमें पूरी तरह से अलग-अलग तथ्य हैं, जिनका वर्तमान मामले के तथ्यों से कोई लेना-देना नहीं है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (प्रतिवादी) के लिए काम करने वाले ठेकेदार ने एक विवाद उठाया, जिसे मध्यस्थ के पास भेज दिया गया। कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण, मध्यस्थ ने इस्तीफा दे दिया और मामले को देखने और समझौते की सिफारिश करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की गई। इसके साथ ही उच्चाधिकार प्राप्त समिति के व्यक्तित्व के संबंध में पार्टी से 48 घंटे के भीतर आपत्तियां आमंत्रित की गईं। उच्चाधिकार प्राप्त समिति को मध्यस्थ से सभी कागजात और दस्तावेज प्राप्त करने का निर्देश दिया गया था ताकि समिति सही निष्कर्ष पर पहुंच सके। उक्त समिति ने वास्तव में एक विविध बैठक आयोजित की और ठेकेदार द्वारा 10 लाख रुपये के दावे के मुकाबले 7.11.583 रुपये की सीमा तक विवाद के निपटारे की सिफारिश की, क्योंकि प्रतिवादी आयोग द्वारा विवाद के संबंध में अंतिम रूप देने के लिए एक निश्चित कदम उठाया गया था और ठेकेदार ने आश्वासन पर लंबे समय से चले आ रहे विवाद को समाप्त करने के लिए इसे स्वीकार कर लिया था। आयोग ने ठेकेदार को यह निर्देश दिया था कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करेगी और आयोग को अन्यथा तर्क करने की अनुमति देने के लिए इसे असमान माना गया था। श्री दुर्गा ऑयल मिल्स (सुप्रा) के मामले पर श्री जैन की निर्भरता भी याचिकाकर्ताओं के लिए इस कारण से कोई मदद नहीं कर रही है कि उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम की धारा 6 के तहत, राज्य सरकार को कुछ शर्तों और अपवादों के अधीन बिक्री कर से छूट देने की शक्ति थी।

18. बार में उद्धृत सभी निर्णयों को देखने के बाद मेरा विचार है कि संविधान ने विधायिका के लिए उसके तहत कार्य करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की है और अपने स्वयं के क्षेत्र में विधायिका संविधान के तहत

सर्वोच्च है। जहां तक कानून बनाने या मौजूदा कानूनों को हटाने का संबंध है, यह विधायिका के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है और इस संबंध में न्यायालय द्वारा विधायिका को कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। मैंने ऊपर जो कुछ कहा है, वह माननीय उच्चतम न्यायालय के तीन निर्णयों से स्पष्ट है, जिनका बार में हवाला दिया गया है, जिसमें *नरिंदर चंद हेम राज (सुप्रा)* भी शामिल हैं। अन्य दो फैसले जिन्हें संदर्भ की आवश्यकता है, वे आसिफ हमीद बनाम *जम्मू और कश्मीर राज्य*¹¹ और *सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी कल्याण संघ बनाम भारत संघ*¹² हैं। मामले में *आसिफ हमीद (सुप्रा) नरिंदर चंद हेम राज मामले (सुप्रा)* पर विचार किया गया और उसे मंजूरी दी गई। ऊपर जो कुछ भी कहा गया है, उसके लिए, याचिकाकर्ता न्यायसंगत एस्टोपेल के सिद्धांत से कोई सहायता प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

19. श्री जैन का अंतिम निवेदन यह है कि जब यह शक्ति के प्रत्यायोजन का मामला है, तो स्थिति अलग होगी और अनुसूची 'ए' से शराब की मद को हटाने के लिए कोई अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। अपने उपरोक्त तर्क के समर्थन में, उन्होंने *शशि कांत वोहरा बनाम हरियाणा राज्य*¹³ और *मुख्य आयुक्त, यूटी चंडीगढ़ बनाम सुशील आटा, दाल और तेल मिल*¹⁴ पर भरोसा किया। मैं श्री जैन द्वारा उठाए गए तर्कों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हूँ। याचिका में शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में पूरी तरह से मौन रखा गया है। इसके अलावा, यदि बिक्री कर की छूट अनुसूची 'ए' से शराब के प्रवेश को हटाकर केवल विधायिका के एक अधिनियम द्वारा दी जा सकती है, तो अपेक्षित प्रक्रिया से गुजरे बिना एक प्रतिनिधि द्वारा वांछित छूट कैसे प्राप्त की जा सकती है। निर्णय, जिसका संदर्भ ऊपर दिया गया है, का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

20. जहां तक मामले की समानता का संबंध है, यह सच है कि इस मामले से निपटने वाले विभाग के अधिकारी कानून की स्थिति के संबंध में पूरी तरह से स्पष्ट थे और यह अच्छी तरह से जानते थे कि अनुसूची 'ए' से शराब के प्रवेश को हटाने से ही बिक्री कर में छूट दी जा सकती है। फिर भी मामले को आगे बढ़ाया गया और इससे पहले कि प्रशासक की मंजूरी मिल पाती, नीलामी के समय घोषणाएं कर दी गईं। *प्रथम दृष्टया*, श्री जैन के इस तर्क में दम प्रतीत होता है कि नीलामी के समय बिक्री कर में छूट के कारण ही बोली 23.60 करोड़ रुपये की राशि पर समाप्त हुई, जबकि इससे ठीक पहले के वर्ष में यह राशि 17.62 करोड़ रुपये थी, इस प्रकार 34.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार, जिस तरीके से इस मामले से निपटा गया है, उस पर प्रतिकूल टिप्पणी किए जाने की आवश्यकता है। नीलामी के समय सफल बोलीदाताओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के बारे में किसी ने

¹¹ 1989 Supp (2) SCC 364 : A.I.R. 1989 S.C. 1899.

¹² (1989) 4 SCC 187 : A.I.R. 1990 S.C. 334.

¹³ 82 (1991) S.T.C. 148.

¹⁴ 52 (1983) S.T.C. 72.

वास्तव में परवाह नहीं की और बिक्री कर की छूट के संबंध में घोषणाएं ऐसे समय में की गई थीं जब इस मामले को प्रशासक द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। दुर्भाग्य से, हालांकि, इस मामले में कुछ भी नहीं किया जा सकता है क्योंकि जब कानून इतनी अच्छी तरह से तय होता है, तो इक्विटी पीछे हट जाती है। याचिकाकर्ताओं के पास कहीं और अपना उपाय हो सकता है लेकिन वर्तमान कार्यवाही में उन्हें कोई राहत नहीं दी जा सकती है।

21. उपर्युक्त कारणों से, ये याचिकाएं विफल हो जाती हैं और इस प्रकार, खारिज कर दी जाती हैं। हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अभिनव गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा